पत्र संख्या : 7ब/2049 गै०यो०–01/2014.........101

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

बी०के० त्रिपाठी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांकः 28-8-14

विषय :– माँग संख्या–13–ब्याज संदाय मुख्य शीर्ष–2049–ब्याज अदायगियाँ–उप मुख्यशीर्ष–60– अन्य दायित्वों पर ब्याज–लघुशीर्ष–701–विविध उपशीर्ष–03–विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज–विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–57–ब्याज विपत्र कोड–13N204960701030757 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय हेतु प्राप्त राशि का उप–आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014–2015 में व्यय हेतु **बजट मुख्य शीर्ष 2049**– ब्याज अदायगियाँ–उप मुख्यशीर्ष–60– अन्य दायित्वों पर ब्याज–लघुशीर्ष–701–विविध उपशीर्ष–03–विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज–विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–57–ब्याज विपत्र कोड–13N204960701030757 के अन्तर्गत वित्त विभाग के **पत्रांक–26/बी० टी०–08/2014–15/312/बजट, दिनांक–19.08.2014 एवं पत्रांक–26/बी० टी०–08/2014–15/311/बजट, दिनांक–19.08.2014** से प्राप्त राशि को निम्न रूप में दर्शाये गये निम्नांकित कार्यालय को उप–आवंटित किया जाता है :–

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	विवरण	कुल आवंटन (लाख ₹ में)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई प्रमंडल, बड़हरवा (RJMIRR001)	एजक्यूशन के संख्या–01/2002 (सम्बद्ध डब्लू०पी०सी० संख्या–5913/ 2012) जमादार सिंह बनाम राज्य सरकार मे सिनियर सिविल जज–II, राजमहल द्वारा दिनांक–04.01.2013 को पारित आदेश एवं विधि (न्याय) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–1373 / जे० दिनांक–23.05.2014 के आलोक में व्याज के भुगतान हेतु	7.35043	55244	
2	सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा (JMTMIR001)	दिनांक–11.11.2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरबिट्रेशन अपील संख्या–07/2010 झारखण्ड बनाम एच०पी० विश्वास मामले में प्रदत्त निर्देश के आलोक में एवं विधि (न्याय) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–1417/जे० दिनांक–28.05.14 के आलोक में ब्याज के भुगतान हेतु।	41.00091	55247	
		योग	48.35134		

आवंटित राशि – ₹ अड़तालीस लाख पैतीस हजार एक सौ चौतीस मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष 2014–2015 में वित्त विभाग के आवंटन पत्रांक–312 एवं 311 बजट, दिनांक–19.08.2014 द्वारा प्राप्त राशि ₹ **7.35043** लाख एवं ₹ **41.00091** लाख कुल ₹ **48.35134** (अड़तालीस लाख पैतीस हजार एक सौ चौतीस मात्र) के अन्तर्गत् है।

3. **निकासी व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर एवं नियमानुसार भुगतान कर अनुपालन प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग/वित्त विभाग को अविलम्ब भेजेंगें।**

4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।

5. उप–आवंटित राशि का व्यय विधि (न्याय) विभाग द्वारा निर्गत् स्वीकृत्यादेश सं०–1373/जे० दिनांक–23.05.14 एवं 1417/जे० दिनांक–28.05.14 वित्त विभाग द्वारा निर्गत् आवंटन में अंकित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा।

6. राशि की निकासी निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(बिगल बाखला)
अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदा०,
जल संसाधन विभाग

(एम०एस० चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन/उपआवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से अन्य दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका ईकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2015 तक निश्चित रूप से करेंगे।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका **Access no** कंडिका–1 के स्तंभ–5 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (**http://www.wrdjharkhand.nic.in**) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰– 1. वित्त विभाग का पत्रांक–26/बी॰ टी॰–08/2014–15/312/बजट, दिनांक–19.08.2014 एवं पत्रांक–26/बी॰ टी॰–08/2014–15/311/बजट, दिनांक–19.08.2014
2. विधि विभाग का सी॰/डी॰डी॰ए॰–02/2013–1373/जे॰–23.05.2014 एवं सी॰/डी॰डी॰ए॰–10/2013–1417/जे॰–28.05.2014

(बी॰के॰ त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 101 रॉंची, दिनांक :– 28-8-14

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा/देवघर/जामताड़ा/राजमहल/साहेबगंज** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰– 1. वित्त विभाग का पत्रांक–26/बी॰ टी॰–08/2014–15/312/बजट, दिनांक–19.08.2014 एवं पत्रांक–26/बी॰ टी॰–08/2014–15/311/बजट, दिनांक–19.08.2014
2. विधि विभाग का सी॰/डी॰डी॰ए॰–02/2013–1373/जे॰–23.05.2014 एवं सी॰/डी॰डी॰ए॰–10/2013–1417/जे॰–28.05.2014

(बी॰के॰ त्रिपाठी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 101 रॉंची, दिनांक :– 28-8-14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉंची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉंच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(बिगल बाखला) अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदा॰, जल संसाधन विभाग	(एम॰एस॰ चौरसिया) उप सचिव (अभि॰)	(सुनील कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि॰)	**(बी॰के॰ त्रिपाठी)** **प्रधान सचिव**

1631 113

पत्र संख्या - 26/बी0 टी0-08/2014-15/**312**/बजट

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

राँची, दिनांक :**19/08/2014**

प्रेषक,

विनोद चन्द्र झा,
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

विषय : एजक्यूशन केस संख्या-01/2002 (सम्बद्ध डब्ल्यू०पी०सी० संख्या-5913/2012) जमादार सिंह बनाम राज्य सरकार में सिनियर सिविल जज-II, राजमहल द्वारा दिनांक-04.01.2013 को पारित आदेश एवं विधि (न्याय) विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-1373/जे० दिनांक 23.05.2014 के आलोक में ब्याज की राशि रुपये ₹7,35,043.00 (सात लाख पैंतीस हजार तैंतालीस) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन ।

महाशय,

एजक्यूशन केस संख्या-01/2002 (सम्बद्ध डब्ल्यू०पी०सी० संख्या-5913/2012) जमादार सिंह बनाम राज्य सरकार में सिनियर सिविल जज-ण्ए राजमहल द्वारा दिनांक-04.01.2013 को पारित आदेश एवं विधि (न्याय) विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-1373/जे० दिनांक 23.05.2014 के आलोक में ब्याज की राशि रुपये ₹7,35,043.00 (सात लाख पैंतीस हजार तैंतालीस) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन इस शर्त्त के साथ दिया जाता है कि प्रशासी विभाग द्वारा ब्याज के लिए दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर विधिसम्मत कार्रवाई किया जायेगा। Online Allotment के उपरान्त ब्यौरा संलग्न है।

2. यह आवंटनादेश Online Allotment (IFMS के तहत) के क्रम में दिया जा रहा है।

3. आवंटित राशि गैर योजना मद की मांग संख्या-13-ब्याज संदाय के अंतर्गत मुख्यशीर्ष-2049-ब्याज अदायगियाँ, उप-मुख्य शीर्ष-60-अन्य दायित्त्वों पर ब्याज, लघु शीर्ष-701-विविध, उप शीर्ष-03-विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-57-ब्याज विपत्र कोड-13N204960701030757 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी ।

4. राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बरहरवा (साहेबगंज) द्वारा जिला कोषागार, साहेबगंज से की जाएगी।

5. संबंधित आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम०-4-05/98-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

(830.

6. वित्त विभाग के पत्रांक 170/बजट दिनांक-01.04.2014 के निर्देशों का पालन किया जाय ।

7. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2014-15 में नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक-25.03.2015 के पूर्व वित्त विभाग को वापस कर दी जायगी ।

विश्वासभाजन

(विनोद चन्द्र झा)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड सरकार

629

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

BINOD CHANDRA JHA

चालू वितीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 26/BT-08/14-15/312/BUDGET

दिनांक - 19-Aug-2014

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 13 204960701030757 2049 . ब्याज अदायगियाँ 60 . अन्य दायित्वों पर ब्याज 701 . विविध 03 . विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज 07 . अन्य व्यय 57 . ब्याज	52602	DRNWAT001 BIGAL BAKHLA U/S WATER RES DEPT RANCHI	735,043.00 रुपये सात लाख पैतीस हजार तीरयालीस

योग: 735,043.00

क्रमिक योग: रुपये सात लाख पैतीस हजार तीरयालीस

(BINOD CHANDRA JHA)
19/8/14
JOINT SECRETARY, FINANCE

Run Date 19/8/2014

पत्र संख्या–सी0 / डी0डी0ए0–02 / 2013– / जे0

झारखण्ड सरकार
विधि (न्याय) विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धूर्वा, राँची–834004

प्रेषक,

बी0 बी0 मंगलमूर्त्ति
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची ।

सेवा में

महालेखाकार, झारखंड,
पो0–डोरण्डा, राँची ।

राँची, दिनांक– मई, 2014

विषय– एजक्यूशन केस संख्या–01 / 2002 (सम्बद्ध डब्ल्यू0पी0सी0 संख्या–5913 / 2012) जमादार सिंह बनाम राज्य सरकार में दिनाक–04.03.2002 से दिनाक–16.03.2002 तक साधारण ब्याज की दर से सूद की राशि रू0 7,35,043 / – (सात लाख पैंतीस हजार तैंतालिस हजार रूपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक एजक्यूशन वाद संख्या–01 / 2002 (सम्बद्ध डब्ल्यू0पी0सी0 सख्या–5913 / 2012) जमादार सिंह बनाम राज्य सरकार में सिनियर सिविल जज–II, राजमहल द्वारा दिनाक–04.01.2013 को पारित आदेश तथा जल ससाधन विभागीय प्रस्ताव के आलोक में निदेश न्यायालय में जमा करते हुए सूद की राशि के रूप में रू0 7,35,043 / – (सात लाख पैंतीस हजार तैंतालिस हजार रूपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. संबंधित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2014–15 में मुख्य शीर्ष–2049–ब्याज अदायगियों–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य दायित्वों पर ब्याज–लघुशीर्ष–701–विविध–उपशीर्ष–03–विविध न्याय निर्णय के आलोक मे ब्याज–विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–57–ब्याज विपत्र कोड–13N204960701030757 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिचाई प्रमंडल, बरहरवा (साहेबगंज) होंगे एवं निकासी जिला कोषागार, साहेबगंज से किया जाएगा।

4. यह मात्र स्वीकृति आदेश है।

ह0 / –
(बी0 बी0 मंगलमूर्त्ति)
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–सी0 / डी0डी0ए0–02 / 2013– 1313 / जे0 राँची, दिनाक– 23 मई, 2014

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, साहेबगंज / उपायुक्त, साहेबगंज / जल संसाधन विभागीय संचिका संख्या–7 / यो0कोर्ट–केस–25 / 2009 संलग्न 11 / कोर्ट केस 4–5 / 2001 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी0 बी0 मंगलमूर्त्ति)
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची।

13

पत्र संख्या - 26/बी0 टी0-08/2014-15/**311**/बजट

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

राँची, दिनांक :**19/08/2014**

प्रेषक,

विनोद चन्द्र झा,
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

विषय : दिनांक-11.11.2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरबिट्रेशन अपील संख्या-07/2010 झारखण्ड राज्य बनाम एच०पी०विश्वास मामले में प्रदत्त निर्देश के आलोक में एवं विधि (न्याय) विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-1417/जे० दिनांक 28.05.2014 के आलोक में ब्याज की राशि रुपये ₹41,00,091.00 (इकतालिस लाख इकानबे) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन ।

महाशय,

दिनांक-11.11.2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरबिट्रेशन अपील संख्या-07/2010 झारखण्ड राज्य बनाम एच०पी०विश्वास मामले में प्रदत्त निर्देश के आलोक मेंएवं विधि (न्याय) विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-1417/जे० दिनांक 28.05.2014 के आलोक में ब्याज की राशि रुपये ₹41,00,091.00 (इकतालिस लाख इक्यावने) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन इस शर्त्त के साथ दिया जाता है कि प्रशासी विभाग द्वारा ब्याज के लिए दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर विधिसम्मत कार्रवाई किया जायेगा। Online Allotment के उपरान्त ब्यौरा संलग्न है।

2. यह आवंटनादेश Online Allotment (IFMS के तहत) के क्रम में दिया जा रहा है। अतः Online आवंटन के क्रम में स्वीकृत्यादेश के समरूप ₹41,00,091.28 (इकतालिस लाख इक्यावन रुपय अठाइस पैसे मात्र) के स्थान पर ₹41,00,091.00 (इकतालिस लाख इकानबे) रुपये मात्र का आवंटन दिया जा रहा है।

3. आवंटित राशि गैर योजना मद की मांग संख्या-13-ब्याज संदाय के अंतर्गत मुख्यशीर्ष-2049-ब्याज अदायगियाँ, उप-मुख्य शीर्ष-60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, लघु शीर्ष-701-विविध, उप शीर्ष-03-विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज़, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-57-ब्याज विपत्र कोड-13N204960701030757 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी ।

4. राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, जामताड़ा द्वारा जिला कोषागार, जामताड़ा से की जाएगी।

5. संबंधित आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम०-4-05/98-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

6. वित्त विभाग के पत्रांक 170/बजट दिनांक-01.04.2014 के निर्देशों का पालन किया जाय ।

7. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2014-15 में नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक-25.03.2015 के पूर्व वित्त विभाग को वापस कर दी जायगी ।

विश्वासभाजन

(विनोद चन्द्र झा)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

BINOD CHANDRA JHA

चालू वितीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 26/BT-08/14-15/311/BUDGET

दिनांक - 19-Aug-2014

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 13 204960701030757 2049 . ब्याज अदायगियाँ 60 . अन्य दायित्वों पर ब्याज 701 . विविध 03 . विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज 07 . अन्य व्यय 57 . ब्याज	52625	DRNWAT001 BIGAL BAKHLA U/S WATER RES DEPT RANCHI	4,100,091.00 रुपये इकतालीस लाख इनकानवे

योग: 4,100,091.00

क्रमिक योग: रुपये इकतालीस लाख इनकानवे

19/8/15

(BINOD CHANDRA JHA)

JOINT SECRETARY, FINANCE

Run Date: 19/8/2014

पत्र संख्या–सी0 / डी0डी0ए0–10 / 2013–   / जे0

झारखण्ड सरकार
विधि (न्याय) विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धूर्वा, राँची–834004

प्रेषक,

बी0 बी0 मंगलमूर्त्ति
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची ।

सेवा में

महालेखाकार, झारखंड,
पो0–डोरण्डा, राँची ।

राँची, दिनांक–   मई, 2014

विषय– दिनाक–11.11.2011 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आरबिट्रेशन अपील संख्या–07 / 2010 झारखंड राज्य बनाम एच0पी0 विश्वास मामलें में प्रदत्त निर्देश के आलोक में कुल रू0 41,00,091=28 (इकतालिस लाख इकानवें रूपये अठाईस पैसे मात्र) ब्याज राशि के भुगतान की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक आरबिट्रेशन अपील संख्या–07 / 2010 झारखंड राज्य बनाम एच0पी0 विश्वास मामलें में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत न्याय–निर्देश तथा जल संसाधन विभाग, झारखंड के पस्ताव के आलोक में निदेशित न्यायालय में जमा करने हेतु ब्याज राशि के रूप में कुल रू0 41,00,091=28 (इकतालिस लाख इकानवें रूपये अठाईस पैसे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. संबंधित राशि की निकासी मांग सख्या–13–ब्याज संदाय–मुख्य शीर्ष–2049–ब्याज अदायगियाँ–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य दायित्वों पर ब्याज–लघुशीर्ष–701– विविध– उपशीर्ष–03–विविध न्याय निर्णय के आलोक मे ब्याज–विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–57–ब्याज विपत्र कोड–13N204960701030757 के अतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिचाई प्रमंडल, जामताडा होंगे।

4. राशि की निकासी जिला कोषागार, जामताड़ा से की जाएगी।

5. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। राशि के आवंटन हेतु पृथक आवंटनादेश निर्गत होगा।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
(बी0 बी0 मंगलमूर्त्ति)
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–सी0 / डी0डी0ए0–10 / 2013–1417 / जे0   राँची, दिनाक–28 मई, 2014

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखड, राँची / बजट पदाधिकारी, बजट शाखा, वित्त विभाग, झारखड, राँची / कार्यपालक अभियंता, सिचाई प्रमंडल, जामताडा / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.05.14

सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची।